रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
(लाइसेन्स टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 12 जून, 1999 ई० (ज्येष्ठ 22, 1921 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद की तहसील अतरौली में कार्यरत सीजनल संग्रह अमीन श्री रामवीर सिंह, दिनांक 31 मार्च, 1999 को बस संख्या यू0एच0पी0 967 से क्षेत्र गंगीरी जा रहे थे। गंगीरी जाकर श्री रामवीर सिंह ने रसीद बनाने हेतु बस्ता खोला तो उसमें रसीद बही संख्या 01984 नहीं पायी गयी। यह रसीद बही किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा ली गई है; जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 1 अप्रैल, 1999 को सम्बन्धित थाने से दर्ज करा दी गई है। यह रसीद बही क्रमांक 1 से 27 तक प्रयोग शुदा है तथा क्रमांक 28 से 100 तक बिना प्रयोगशुदा दो पर्तों में है।

अतः उक्त रसीद बही में खाली रसीदें संख्या 28 से 100 तक का प्रयोग अवैध घोषित किया जाता है तथा उनका प्रयोग अवैध होगा और इनका राजस्व, राजस्व विभाग द्वारा मान्य नहीं होगा। यदि यह रसीद बही किसी को मिले तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

खोई हुई रसीद बही का विवरण:

नाम तहसील	जनपद	रसीद बही का प्रकार	रसीद बही की संख्या	प्रयोग की गई रसीदों की संख्या	बिना प्रयोग-शुदा रसीदों की संख्या
1	2	3	4	5	6
अतरौली	अलीगढ़	विविध देय	01984	1 से 27 तक	28 से 100 तक

दिनांक : 12 मई, 1999 ई०

ह० (अस्पष्ट),
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
अलीगढ़।

(2)

नगर पालिका परिषद, हापुड़

17 मई, 1999 ई0

सं0 60/23–1999–2000––नगरपालिका परिषद्, हापुड़; जिला गाजियाबाद ने शासनादेश संख्या 161 सी0 एम0/नौ–9–97–23–ज/97, दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 एवं शासनादेश संख्या 1241/नौ–9–98–23–ज/97, दिनांक 10 जून; 1998 तथा इसी तारतम्य में निर्गत [शा]सनादेश संख्या 541/नौ–9–99–23 ज–97–टी0 सी0; दिनांक 15 फरवरी; 1999 के अन्तर्गत सभी लाइसेन्सों [एवं] अन्य शुल्कों में वृद्धि कर उपनियमावली बनाई गई है; [उ0 प्र0] नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) [की सूच]ी प्रथम के शीर्षक एफ (ए); (बी); (सी0); [(डी]0); (डी0 डी0) एवं शीर्षक (जी0 एच0 आई0 [जे]0) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद, हापुड़; जिला [गाजि]याबाद की सीमान्तर्गत वाणिज्य नियन्त्रण एवं [विनि]यमितकरण उपविधि बनाई है; जिनका अनुमोदन बोर्ड [ने] अपने प्रस्ताव संख्या 763; दिनांक 17 अप्रैल, 1999 [द्वा]रा कर दिया गया है। अतः इसे म्युनिसिपैलिटीज [एक्ट]; 1916 की धारा 301 के प्रयोजनार्थ प्रकाशित [किया] जाता है। ये उपविधियां दिनांक 1 अप्रैल; 1999 [से प्रभ]ावी मानी जायेंगी :

उपविधियां

1––संक्षिप्त नाम––यह उपविधि नगरपालिका परिषद; [हापुड़;] जनपद–गाजियाबाद के द्वारा उ0 प्र0 नगरपालिका [अधि]नियम; 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत नगरपालिका [परिषद्]; हापुड़ की सीमा के अन्दर वाणिज्य नियन्त्रण एवं [विनिय]मितकरण लाइसेन्स उपविधि कहलायेगी और भविष्य [में सम]य–समय पर सीमा वृद्धि अनुसार प्रभावी रहेगी।

[2]––परिभाषा––यह उपविधि वाणिज्य एवं विनियमित–[करण ल]ाइसेन्स शुल्क उपविधि कहलायेगी।

[(क]) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है;

[(ख]) नगरपालिका परिषद् का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् हापुड़; जनपद गाजियाबाद से है;

[(ग)] शुल्क का तात्पर्य इस उपविधि के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित विभिन्न मदों पर लगाये गये शुल्क से है;

[(घ)] बोर्ड का तात्पर्य बोर्ड नगरपालिका परिषद; हापुड़ से है।

(ङ) अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, हापुड़ से है;

(च) निरीक्षणकर्ता का तात्पर्य कर अधीक्षक अथवा अधिशासी अधिकारी; नगरपालिका परिषद्, हापुड़ द्वारा निरीक्षण करने हेतु अधिकृत किये गये किसी अधिकारी/कर्मचारी से है;

(छ) तालिका में वर्णित मदों पर निर्धारित शुल्क की धनराशि पालिका परिषद्; हापुड़ की सीमा में रहते हुए देय होगी।

3––इन उपविधियों के अन्तर्गत दुकान, दुकानों के समूह; फैक्ट्री तथा सड़क की पटरी नगर के अन्दर; नगर की सीमा से लगी निजी दुकानों, नगर पालिका परिषद् अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा निर्मित दुकान, दुकानों के समूह; तख्त; भूमि आदि पर लगाने वाली अस्थाई दुकान स्थाई एवं आदि भी समझी जायगी।

4––इस उप–विधि के अन्तर्गत होटल, नर्सिंग होम; परिवहन, एवं पशुपालन जिस पर शुल्क देय होगा, नगर के अन्दर; नगर की सीमा से लगी दुकानों, नगर पालिका परिषद अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा निर्मित दुकान दुकानों के समूह, भूमि भवनों आदि पर लगने वाली स्थाई एवं अस्थाई दुकान आदि भी समझी जायेगी।

5––होटल; लाजिंग; गेस्ट हाउस तथा बारात घर; तीन व पांच सितारा होटलों में सफाई का विशेष प्रबन्ध रखने का दायित्व लाइसेन्सी का होगा और इन भवनों को प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ, बनाये रखने और अग्नि–शमन सामग्री का प्रबन्ध प्रत्येक दशा में भवनों में उपलब्ध कराना होगा।

6––नर्सिंग होमों म नियमित रूप से कीटाणु नाशक दवाओं आदि का प्रयोग करके सफाई का उचित प्रबन्ध रखना होगा। आपरेशन थियेटरों में यन्त्रों का शोधन के उपरान्त प्रयोग किया जायेगा।

7––अस्पताल; क्लीनिक पैथोलाजी सेन्टर में अनु–उपयोगी दवाओं या सामग्री अथवा कैमिकल का नियमित रूप से प्रतिदिन निस्तारण करना होगा।

8––एक्सरे क्लीनिक में टेक्नीशियन एवं विशेषज्ञों द्वारा ही एक्सरे खींचे जायेंगे एवं इनके द्वारा एक्सरे खींचने से पूर्व निर्धारित वर्दी (लेड आपरोअस) का धारण करना अनिवार्य होगा व अन्य सुरक्षात्मक प्रबन्ध करने होंगे।

8—पैथोलाजी सेन्टर में समस्त कैमिकल्स एवं दवाओं का जो प्रयोग में लाई जायेगी, निर्मित तिथि से नियत उपयोगिता तिथि तक ही प्रयोग में लाया जायेगा। उपयोगिता निश्चित अवधि की तिथि के बाद उनका प्रयोग करना अवैधानिक व दण्डात्मक होगा।

10—आटो रिक्शा में निर्धारित सीटों के अनुसार सवारियां बैठेंगी होगी। निर्धारित सीटों से अधिक सवारियों को बैठाना या आवागमन कराना अनियमित एवं अवैध होगा।

11—प्रत्येक मांस, मछली विक्रेता की दुकानों पर फिश टांगना आवश्यक है तथा सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक एवं अनिवार्य है।

12—प्रत्येक दुकान के ऊपर टांगने वाला बोर्ड/विज्ञापन बोर्ड नगर पालिका परिषद की स्वीकृति के पश्चात् ही लगाया जायेगा। विज्ञापन बोर्ड पर नगर पालिका परिषद् हापुड़ का लाइसेन्स का नम्बर दायीं ओर अंकित कराना होगा।

13—लाइसेन्स की अवधि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होगी तथा लाइसेन्स का नवीनीकरण 31 मई तक प्रत्येक वर्ष कराना होगा। प्रत्येक वर्ष 31 मई में लाइसेन्स प्राप्त न करने की दशा में अधिकतम 50.00 रुपये प्रतिमाह विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् ही लाइसेन्स जारी किया जायेगा। विलम्ब शुल्क क्षय करने का अधिकारी अधिशासी अधिकारी को होगा। परन्तु अनुसूची के मद संख्या 18 से 24 तथा 27 एवं 36 से 39 पर उल्लिखित लाइसेन्सों का नवीनीकरण देय चालू वित्तीय वर्ष (पूरे वर्ष) में कराया जायेगा।

14—दुकानों की जांच करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, कर अधीक्षक, सहायक कर अधीक्षक एवं लाइसेन्स निरीक्षक एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को होगा।

15—कोई भी व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो ऐसी दशा में न तो वह कोई व्यवसाय कर सकता है और न ही ऐसे व्यक्ति को नौकर रखा जा सकता है।

16—केन्द्र तथा राज्य सरकार या अन्य कोई भी विधि नियत संस्था द्वारा अनुसूची में उल्लेखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु लाइसेन्स आदि देय हो तो यह भिन्न लाइसेन्स समझा जायेगा।

17—इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स अधिकारी अधिशासी अधिकारी होगा।

18—लाइसेन्स गृहीता एवं लाइसेन्स अधिकारी में लाइसेन्स के सम्बन्ध में अगर कोई विवाद पैदा होता है तो इस विषय में बोर्ड प्रशासक का निर्णय मान्य होगा।

19—लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स अस्वीकृत किए जाने की दशा में 15 दिवस के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है। बोर्ड का निर्णय मान्य होगा।

20—इस उपविधि के प्रभावी होने की दिनांक से पूर्व प्रभावी रिक्शा, हाथ ठेला; बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी; पशु बधशाला, आइसफैक्ट्री; मछा व बकरे के मांस की दुकानों के लाइसेन्स उप-विधि शुल्क की दरें निरस्त हो जायेंगी।

अनुसूची

क्रम संख्या विवरण	मद का नाम	शासनादेश द्वारा निर्धारित दरें
1	2	3
		रु०
1	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस तथा डारात घर	1,000.00
2	तीन सितारा होटल	8,000.00
3	पांच सितारा होटल	12,000.00
	नर्सिंग होम	
4	नर्सिंग होम (20 बैड तक)	2,000.00
5	नर्सिंग होम (20 बैड से ऊपर)	5,000.00
6	प्रसूति गृह (20 बैड तक)	4,000.00
7	प्रसूति गृह (20 बैड के ऊपर)	5,000.00
8	प्राइवेट अस्पताल	5,000.00
9	पैथालाजी सेन्टर	1,000.00
10	एक्सरे क्लीनिक	2,000.00
11	डेन्टल क्लीनिक	4,000.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	3,000.00
	परिवहन	
13	आटो रिक्शा 2 सीटर	360.00
14	आटो रिक्शा 7 सीटर (डीजल)	720.00

1	2	3
		रु0
15	आटो रिक्शा 4 सीटर	500.00
16	मिनी बस	1,500.00
17	बस	2,500.00
18	तांगा	50.00
19	रिक्शा किराये पर	150.00
20	रिक्शा (निजी चलित)	75.00
21	ठेला/ठेली	100.00
22	हाथ ठेला	25.00
23	बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी	25.00
24	डग्गी	150.00
25	फाइनेन्स कम्पनी, चिट फण्ड	6,000.00
26	इन्श्योरेन्स कम्पनी, प्रति शाखा	12,000.00
27	पशुवधशाला (स्लाटर हाउस)	25.00 (प्रति पशु)
28	हड्डी खाल गोदाम	1,000.00
29	बार/बियर	6,000.00
30	आइस फैक्ट्री	100.00
31	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00
32	देशी शराब (प्रति दुकान)	6,000.00
33	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	12,000.00
34	भैंसा मांस की दुकान	300.00
35	बकरा मांस की दुकान	600.00
	पशुपालन	
		रु0
36	प्रति पशु	10.00
37	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	350.00
38	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर (बकरी आदि)	10.00
39	प्रति दिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि)	25.00

दण्ड

यू0 पी0 म्यु0 ऐक्ट, 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद्, हापुड़, जिला गाजियाबाद यह प्राविधान करती है कि इन उपविधियों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा 1,000.00 (एक हजार) रुपये तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है परन्तु किसी भी दशा में 100.00 (सौ) रुपये से कम न होगा और निरन्तर अवहेलना करने पर अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायगा, जो सिद्ध होने की तिथि के प्रत्येक दिन के लिए उससे यह सिद्ध होता है कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, तो 25.00 (पच्चीस) रुपये प्रतिदिन अर्थदण्ड दिया जायेगा। अर्थदण्ड की राशि न चुकाने पर छः माह का कारावास से दण्डित होगा।

सरोज सिंह,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, हापुड़।

पी0 एस0 यू0 पी0—11 हिन्दी गजट—भाग-8—1999 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।